उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
संख्या–425/60–1–14–1/13(92)/06 टीसी–1
लखनऊः दिनांकः 22 मई, 2014

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा–17 के अन्तर्गत राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 के अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति होने तक सचिव राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को अध्यक्ष का कार्य देखने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

रमेश मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या–425(1)/60–1–14,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5– अध्यक्ष राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।
6– सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
7– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ
8– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
9– सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
10– प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग।
11– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ
12– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।
13– सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।
14– सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।
15– जिलाधिकारी, लखनऊ/गाजियाबाद/बाराबंकी/कानपुरनगर /मेरठ को इस अनुरोध कि साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
16– सम्बन्धित नामित सदस्य।
17– महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
18– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।